संख्या-191/2016/1133/22-2-2016-17(331)/2009

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 अक्टूबर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल जब्बार पुत्र श्री अब्दुल रशीद निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21431/पर-3(एम-22-06-2016) दिनांक-20-07-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि बन्दी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में क्रिमिनल रिट याचिका सं0-142/2014 अब्दुल जब्बार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है। उक्त याचिका का क्रिमिलन रिट याचिका सं0'11/13 सत्यप्रकाश बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 द्वारा यह आदेश दिये गये है कि क्रिमिनल रिट याचिका सं0'48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के आलोक में बन्दी की समय पूर्व रिहाई पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर विचार किया जाय तथा बन्दी को छः माह के लिए जमानत पर मुक्त किये जाने के आदेश के साथ याचिका निस्तारित कर दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि में बन्दी की रिहाई अस्वीकृत किये जाने की दशा में बन्दी को पुनः कारागार में सजा भोगने हेतु समर्पण करना होगा। उक्त याचिका सं0-11/2013 तथा उससे सम्बन्धित रिट याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 का संगत अंश निम्नवत उद्धृत है:-

..... Therefore, as far as Writ Petition of the petitioner is concerned, it is disposed of in terms of the aforesaid judgment with the liberty to the petitioner to approach the Government by appropriate application in accordance with the procedure stated in the said judgment. The petitioner will be entitled to move the said petition within two months. When such petition is made same shall be considered by the Competent Authority and necessary orders be passed thereon within three months thereafter.....

x x x x x x x x x x x x

W.P. (Crl.) No. 75/2012, W.P. (Crl.) No. 189/2013, W.P. (Crl.) No. 142/2014,

Benefit of the bail in identical terms, as stated above in W.P. (Crl.) No(s). 11@2013 is extended to the petitioner(s), Writ petitions are disposed of in those terms.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- आपके उक्त पत्र दिनांक 20.07.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल जब्बार पुत्र श्री अब्दुल रशीद, निवासी-188 गोला कुआं, इस्लामाबाद, थाना-लिसाडी गेट, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 26.01.1993 की सायं लगभग 07:45 बजे पी0ए0सी0 पीकेट पर बम से हमला किया। इस हमले में पी0ए0सी0 के एक जवान की मौत हो गयी तथा तीन अन्य जवान घायल हुए एवं सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-15/1993 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307, 302/34, व धारा 4 (लोक सम्पत्ति अधिनियम) तथा टाडा एक्ट की धारा-3(1)(2)(1) के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टाडा कोर्ट, मेरठ द्वारा दिनांक 12.07.2000 को दो अलग-अलग आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में अपील सं0-804/2001 योजित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2002 द्वारा टाडा एक्ट की धारा-3(1)(2)(1) में बरी करते हुए अन्य धाराओं में सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18-02-2016 तक 22 वर्ष 10 माह 09 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 00 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा भविष्य मे अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी पुन: अपराध अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है क्योकि बन्दी की आयु 42 वर्ष है, बन्दी के परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा समयपूर्व रिहा होने के बाद पुन: जघन्य अपराध करने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पी0ए0सी0 पीकेट पर हमला कर 01 जवान की हत्या व 03 अन्य जवान घायल करने तथा सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा तथा मृतक सरकारी कर्मचारियों के सदस्यों का न्यायिक प्रणाली के बारे में विश्वास भी कमजोर होगा। बन्दी की आयु 42 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा अतिरिक्त पांच बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी अब्दुल जब्बार पुत्र श्री अब्दुल रशीद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.02.2016 के अनुपालन में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अब्दुल जब्बार (बन्दी संख्या-6606) पुत्र श्री अब्दुल रशीद निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-191/2016/1133(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-191/2016/1133@22-2-2016-17(331)/2009

दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल जब्बार पुत्र श्री अब्दुल रशीद, निवासी-188 गोला कुआं, इस्लामाबाद, थाना-लिसाडी गेट, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 26.01.1993 की सायं लगभग 07:45 बजे पी0ए0सी0 पीकेट पर बम से हमला किया। इस हमले में पी0ए0सी0 के एक जवान की मौत हो गयी तथा तीन अन्य जवान घायल हुए एवं सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-15/1993 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307, 302/34, व धारा 4 (लोक सम्पत्ति अधिनियम) तथा टाडा एक्ट की धारा-3(1)(2)(1) के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टाडा कोर्ट, मेरठ द्वारा दिनांक 12.07.2000 को दो अलग-अलग आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में अपील सं0-804/2001 योजित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2002 द्वारा टाडा एक्ट की धारा-3(1)(2)(1) में बरी करते हुए अन्य धाराओं में सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18-02-2016 तक 22 वर्ष 10 माह 09 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 00 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा भविष्य मे अपराध करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी पुन: अपराध अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है क्योकि बन्दी की आयु 42 वर्ष है, बन्दी के परिवार की आथिक एवं सामाजिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा समयपूर्व रिहा होने के बाद पुन: जघन्य अपराध करने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पी0ए0सी0 पीकेट पर हमला कर 01 जवान की हत्या व 03 अन्य जवान घायल करने तथा सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा तथा मृतक सरकारी कर्मचारियों के सदस्यों का न्यायिक प्रणाली के बारे में विश्वास भी कमजोर होगा। बन्दी की आयु 42 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा अतिरिक्त पांच बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी अब्दुल जब्बार पुत्र श्री अब्दुल रशीद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in